

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. +*161

मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय

+*161. श्री बलभद्र माझी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सहकारी समितियों से संबंधित प्रस्तावित विश्वविद्यालय से देश में विशेषकर प्रशिक्षण प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ तैयार किए जाने के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र के विकास और व्यवसायीकरण में किस प्रकार सहायता मिलेगी;
- (ख) विशेषकर छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सहकारी क्षेत्र डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धी बना रहे, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता और सदस्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग हो; और
- (घ) इस क्षेत्र में नवीनतम सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों को शामिल करके सहकारी प्रबंधन में व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार किये जाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्री बलभद्र माझी तथा श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय के संबंध में पूछे गए दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

- (क) सहकारी समितियों पर प्रस्तावित विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र के विकास और पेशेवरता पर निम्नलिखित रूप से अपना योगदान देगा :-
- (i) सहकारी क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान करेगा,
 - (ii) सभी स्तरों की सहकारी समितियों के कर्मियों और बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा,
 - (iii) दूरस्थ शिक्षा (distance learning) या सामूहिक ई-लर्निंग (mass e-learning) प्लेटफॉर्म और सहकारी समितियों की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करेगा,
 - (iv) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसरण करते हुए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और विषयसूची अभिकल्पन, अध्यापन कला और पाठ्यक्रम डिलीवरी का मानकीकरण करेगा।
- (ख) सहकारी समितियों में महिलाओं की प्रतिभागिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-
- (i) सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं जिसे देश भर में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। यह पैक्स के बोर्ड में महिला निदेशकों की आवश्यकता अधिदेशित करती हैं। इससे 1 लाख से भी अधिक पैक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी निर्णयन प्रक्रिया में प्रतिभागिता सुनिश्चित होती है।
 - (ii) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है जिसमें एक विशिष्ट उपबंध शामिल किया गया है जिसके माध्यम से बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों पर आरक्षण अनिवार्य करके सहकारी क्षेत्र में लैंगिक समता विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
 - (iii) मंत्रालय ने सहकारिता आधारित "श्वेत क्रांति 2.0" की एक नई पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संगठित डेयरी क्षेत्र द्वारा अब तक अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान कर और संगठित डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देकर आगामी पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण में 50% तक वृद्धि करना।
 - (iv) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निगम है, वर्षों से महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित कार्यक्रमलाप करने में सक्षम कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा

रहा है। एनसीडीसी विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए **नंदिनी सहकार** योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अधीन महिला सहकारी समितियों को सावधि ऋण पर 2% ब्याज अनुदान के साथ 5-8 वर्षों की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अधीन एनसीडीसी द्वारा अधिदेशित व्यवसाय योजना आधारित कार्यकलापों/सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- (v) लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) और उसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (RTCs) एनसीडीसी के प्रशिक्षण और परामर्श स्कंध (wing) के रूप में कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों में महिलाओं की प्रतिभागिता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए लिनाक और आरटीसी-रायपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए गए :-

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	महिला प्रतिभागियों की संख्या
2020-21		
लिनाक	2	9
आरटीसी	2	15
2021-22		
लिनाक	—	—
आरटीसी	10	307
2022-23		
लिनाक	—	—
आरटीसी	8	186
2023-24		
लिनाक	3	40
आरटीसी	5	92
2024-25 (दिनांक 31.01.2025 के अनुसार)		
लिनाक	4	83
आरटीसी	5	19
कुल	39	751

- (ग) सहकारी समितियों द्वारा पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सदस्य सेवाओं में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना: भारत सरकार ने कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज

रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ लिंक करना है। ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाता है। इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होता है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है।

- (ii) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- (iii) ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र के रूप में पैक्स: पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, इत्यादि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक कार्यालय ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है।
- (iv) मंत्रालय की पहल पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का एक पोर्टल, अर्थात् www.crcs.gov.in विकसित किया गया है जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस पहल का लक्ष्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करके सीआरसीएस कार्यालय को डिजिटलीकृत और कागज रहित बनाना, बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को सरल करना और सीआरसीएस कार्यालय के कार्यकरण में पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि करना है। सीआरसीएस कार्यालय के सभी कार्य-प्रक्रियाएं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, उपविधियों का संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति करना, सहकारी शिक्षा निधि (CEF) और सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि (CRRDF) में ऑनलाइन भुगतान करना, इत्यादि शामिल हैं, को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है।
- (v) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण: केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 को वर्ष 2023-24 से लेकर तीन वर्षों के लिए 94.59 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को अनुमोदित किया गया है। यह मंत्रालय की "आईटी इंटरवेंशंस द्वारा सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" अंब्रेला परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सहकारी समितियों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी

समितियों के पंजीयक कार्यालयों के साथ पारदर्शी और कागज रहित लेनदेन हेतु एक डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है। इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप होगा।

- (vi) नाबार्ड ने अपनी विकासात्मक भूमिका के हिस्से के रूप में वर्ष 2011 में ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) में ऑनबोर्ड होने में सहायता प्रदान की थी। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध किए गए दो CBS क्लाउड की सेवाओं का उपयोग 211 ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में नाबार्ड इन बैंकों को अपनी CBS प्रणालियों को अद्यतित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है।
- (vii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), अर्थात् नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) को भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के अंब्रेला संगठन (UO) के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाते हुए उनके आईटी लागतों को उल्लेखनीय रूप से घटाने हेतु एक सशक्त और विश्वसनीय आईटी अवसंरचना प्रदान कर भारतीय शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर को डिजिटली रूपांतरित करके देश के वित्तीय सिस्टम में एक प्रमुख शक्ति बनाना है।
- (viii) 'सहकारिता में सहकार' (Cooperation among cooperatives) को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिले में एक पायलट परियोजना आरंभ की गई थी। इस परियोजना के घटकों में से एक घटक डेयरी सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम का वितरण करना और सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता एवं वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करना है। इस पायलट अवधि की सीख के आधार पर दिनांक 15 जनवरी, 2024 को गुजरात में एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई। 'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया गया है। दिनांक 28.02.2025 तक 9915 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं।
- (घ) डिग्री/डिप्लोमा, प्रशिक्षण और कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रमों के अभिकल्पन के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। आवश्यकता आधारित और उद्योग अभिमुखी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों की सहकारी समितियों के संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
